न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 04/2018 दायरा दिनांक : 11.01.2018

उनवान

मोहम्मद हुसैन, आयु 42 वर्ष पुत्र श्री नजर अली, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 8, मांगरोल तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमान् तहसीलदार साहब मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— राजस्थान मुस्लिम वक्फ्स, बनीपार्क, जयपुर, जिला जयपुर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री के. के. शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बालमुकुन्द गूर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.05.2017 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एल आर एक्ट एवं धारा 9 राजस्थान सुधार जागीर पुर्नगृहण अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या 29/20016 निर्णय से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2017 को अपीलांट के विरूद्ध निर्णय फरमाते हुए आदेश प्रसारित किया गया था जिससे अप्रसन्न होकर उक्त अपील पेश की गई है । वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी के अपीलांट बतौर खातेदार काबिज काश्तकार है किन्तु उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण एवं कानून के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । आराजी खसरा नम्बर 342, 343, रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 455 रकबा 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.20 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.45 हेक्टर भूमि ग्राम तेतलहेड़ी, तहसील मांगरोल का अपीलांट रेकार्डेड खातेदार है एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु उनके द्वारा उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश के बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेंट क्रम 2 के नाम पर इंतकाल उक्त विवादित आराजी का खोला जो खारिज होने योग्य है । उक्त आराजी में अपीलांट के दादा अब्दुल रजाक उर्फ भंवर बेटा बहादुर शाह की खातेदारी की थी उनके मरने के बाद से उक्त आराजी अपीलांट के पिता एवं उसके बाद वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का स्वामित्व निहित है । अपीलांट ही उक्त आराजी की देखरेख करते हैं एवं उन्हीं का कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा करवा कर अपीलांट को काश्त से वंचित करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड पर कोई गौर नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रेस्पोडेंट क्रम 2 द्वारा अपने साथियों एवं कार्मिकों के साथ अपीलांट की उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल

पर कब्जा करने आया, तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस योग्य अभिभाषकगण सुनी गई ।

आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जिसमें दस्तावेज को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया । न्यायहित में उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लिया जाता है ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोककिया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त विवादित आराजी राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के मध्य नजर उपरोक्त आराजी पर अग्रिम आदेशों तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित किया हुआ है, जबकि प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में जैरकार है

तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में इसी का विवेचन करते हुए पत्रावली में अग्रिम कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होते हुए भी पत्रावली ड्रोप की गई है । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के मध्य नजर एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण यह न्यायालय भी उपरोक्त पत्रावली में अन्य कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं समझता है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा